रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2018/चैत्र 29, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 500

No. 88] DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2018/CHAITRA 29, 1940 [N.C.T.D. No. 500

भाग—IV

PART—IV

गृह (पुलिस–2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अप्रैल, 2018

सं.फा. 3/6/2017/हेस्मा/एचपी–II/2821–27.—जबकि गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिसूचना संख्या एफ 3/6/2017/हेस्मा/8870–76 दिनांक 04–11–2017 के द्वारा दिल्ली के निवासियों के जीवन में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं को बनाये रखने के लिये हेस्मा केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रामा एम्बुलेंस सेवाओं (कैट), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के आउटसोर्सिंग एजेन्सी से जुडे संविदाकारी कर्मचारियों के विरूद्व छः माह की अवधि के लिये अधिरोपित किया गया था । उपरोक्त अधिसूचना की वैधता दिनांक 03–05–2018 तक है ।

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली संतुष्ट हैं कि दिल्ली के निवासियों को जीवन रक्षक एम्बुलेंस आवश्यक सेवाएं निर्बाध करने के लिये यह आवश्यक है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से जुडे संविदाकारी कर्मचारियों केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रॉमा एम्बुलेंस सेवाओं (कैट) के विरूद्ध हेस्मा को आगामी छः माह की अवधि के लिए विस्तारित किया जाये ।

अब, इसलिए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 526(अ) दिनांक 30 जुलाई, 1993 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4ए के साथ पठित धारा 3 के द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उपरोक्त वर्णित सेवाओं को अनविार्य सेवाएं घोषित करते है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय दृर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं (कैट) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंस सेवाएं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाती है, के आउटसोर्सिंग एजेंसी और अन्यथा से जुडे संविदाकारी कर्मचारियो के द्वारा की जाने वाली हडताल को दिनांक 04–05–2018 से आगामी छः माह की अवधि के लिए निषेघ करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ओ पी मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME POLICE –II DEPARTMENT

NOTIFICATION

New Delhi, 19th April, 2018

No. F. 3/6/2017/HESMA/HP-II/2821-27.—Whereas vide Home Department's GNCTD notification no. F.3/6/2017/HESMA/8870-76 dated 04.11.2017, HESMA was imposed against contractual employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS), GNCTD for a period of six months to secure uninterrupted health services necessary for the life of the community of the citizen of Delhi. The said notification is valid upto 03.05.2018.

And whereas the Lt. Governor of the Delhi is further satisfied that to ensure life saving essential services of ambulances uninterruptedly to the citizen of Delhi, it is necessary to extend HESMA for another period of six months against contractual employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS).

Now, therefore, the Lt. Governor of Delhi, in exercise of powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526(E) dated 30.07.93, hereby extend the above-said services as essential services and prohibits the strike/agitation by any of the contractual employees engaged through outsourced agency for Centralised Accident & Trauma Services (CATS) ambulance services run by the Govt. of National Capital Territory of Delhi for another period of six months w.e.f 04.05.2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
O.P. MISHRA, Addl. Secy. (Home)

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.26 22:19:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.